तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.01.2023	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। पत्रावली एवं प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। धारा 251ए आर.टी एक्ट के तहत उसी स्थिति में रास्ता स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है, जहा किसी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि से कटाण मार्ग अथवा सड़क तक आवागमन हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं हो। किन्तु तहसीलदार सिवाना की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की मौजा थापन अवस्थित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1122/84 रकबा 0.2590 हैक्टेयर से बालोतरा–सिवाना सड़क मार्ग तक आवागमन हेतु विवादित भूमि के दक्षिण में अवस्थित खसरा संख्या 1146/84 की भूमि प्रार्थी ने राज्य सरकार के हक में समर्पित की है, उससे लगती दक्षिण में खसरा संख्या 1299/1148 की भूमि गै.मु. सड़क है जो बालोतरा–सिवाना सड़क से प्रार्थी की खातेदारी भूमि से जोड़ती है। इस प्रकार सपष्ट है कि प्रार्थी को सड़क कार्य हेतु आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है और प्रार्थी को अन्य किसी रास्ते की आवश्यकता नहीं है। वकील प्रार्थी ने मौका रिपोर्ट के तथ्यों से अपनी सहमति व्यक्त की है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन औचित्यविहीन होने से खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.02.14 11:31:02 IST
Reason: SelfAttested